



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042025-262474
CG-DL-E-16042025-262474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2025/चैत्र 26, 1947

No. 189]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2025/CHAITRA 26, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 228(अ).—केन्द्र सरकार, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 (वर्ष 2025 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 15 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि एतद्वारा नियत करती है।

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/24/2020-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-34318)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2025

G.S.R. 228(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Oilfields (Regulation and Development) Amendment Act, 2025 (6 of 2025), the Central Government hereby appoints the 15th of April, 2025 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. Expl-11032(11)/24/2020-EXPL-I-PNG (E-34318)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.